(ख) भू उपयोग सांख्यिकी 1989-90 (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार देश में बुवाई का निवल क्षेत्र 139.52 मिलियन हेक्टेयर था।

(ग) और (घ) भू उपयोग सांख्यिकी, 1989-90 (नवीनतम उपलब्ध) के ब्यौरे निम्नवत् हैं :—

(मिलियन हे. में)

1. वन	67.76
2. गैर कृषि उपयोग में रखा गया क्षेत्र	21.24
3. बंजर और अकृष्य भूमि	19.80
4. स्थायी चारागाह और अन्य चराई की भूमि	11.60
5. विविध मुख्य फसलों और उद्यानों के तहत की भूमि	3.57
6. कृषि बंजर भूमि	15.04
7. पुरानी परती भूमि	10.62
8. वर्तमान परती भूमि	15.72
9. बुवाई का निवल क्षेत्र	139.52
10. सकल फसली क्षेत्र	181.14
11. कुल कृषि क्षेत्र (क्रम संख्या 5 से 9 तक का योग)	184.47

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि संदर्श के अनुसार 1996-97 के लिए बुवाई का प्रक्षेपित नवल क्षेत्र 141.0 मिलियन हैक्टेयर है जबकि सकल फसली क्षेत्र 190.6 मिलियन हैक्टेयर प्रक्षेपित है।

खरीफ फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि

2056. **श्री ईश्वर दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि को किसानों की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई तथा खरीफ और रबी फसलों के समर्थन मूल्यों में अलग-अलग कितनी-कितनी वृद्धि की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) आदान मूल्यों में परिवर्तन और उत्पादन की लागत पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए 1992-93 मौसम की खरीफ की फसलों के लिये मूल्य नीति बनाई गई है। 1992-93 मौसम की खरीफ की फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धि की गई है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 40 रुपये; कदन्न में 35 रुपये– दलहनों में 95 रुपये; छिलकायुक्त मूंगफली में 105 रुपये; सूरजमुखी के बीज में 130 रुपये; सोयाबीन में 80 रुपये और कच्चे कपास में 110 रुपये की वृद्धि की गई है।

(ग) (i) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और (ii) सांख्यिकी मूल्य नियंत्रण के तहत प्रमुख उर्वरकों के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाले विवरण अनुपत्र में दिये गये हैं। [देखिए परिशिष्ट 167, अनुपत्र संख्या 26]

केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के आंचलिक केन्द्र

2057 **श्री वीरेन्द्र कटारिया** : क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कितने आंचलिक केन्द्र कार्यरत हैं :

(ख) प्रत्येक आंचलिक केन्द्र में वस्तुतः कितने वैज्ञानिक तैनात हैं तथा कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सिरसा (हरियाणा) स्थित उत्तरी आंचलिक केन्द्र में वैज्ञानिकों की कुल स्वीकृत संख्या 53 है जबकि पिछले 18 वर्षों से उस केन्द्र में केवल छः वैज्ञानिक तैनात किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वैज्ञानिकों के रिक्त पद को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) आंचलिक केन्द्रों के कार्यकरण को सुधारने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर के दो क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो सिरसा और कोयम्बटूर में स्थित हैं ।

(ख) , से (घ) क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए स्वीकृत स्टाफ और कार्यरत वैज्ञानिकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

केन्द्र	स्वीकृत स्टाफ की संख्या	कार्यरत वैज्ञानिक
कोयम्बतूर	25	18
सिरसा	13	06

भा.कृ. अनु. परिषद् में वैज्ञानिकों के खाली पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है जिन्हें विज्ञापित किया जाता है ।

(ङ) आनुपातिक संख्या में वैज्ञानिकों, तकनीकी, प्रशासकीय और सहायक कर्मचारियों, उपकरणों एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर उक्त दोनों क्षेत्रीय केन्द्रो को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं । टेक्नोलाजी के विकास और मूल अध्ययन के लिए भी केन्द्रों में चल रहे कपास अनुसंधान कार्य को समेकित किया गया है ।

विषय कृषि विज्ञान केन्द्र

2050. श्री ईश दत्त यादव : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है देश में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए है ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन केन्द्रों को कौन-कौन से स्थानों पर खोला गया है ;

(ग) अभी तक खोले गए कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड है ?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां । [देखिए परिशिष्ट 167, अनुपत्र संख्या 27]

(ख) और (ग) सूची अनुपत्र में दी गयी है ।

(घ) नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि इसका कार्यान्वयन करने वाला संगठन कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थान पर बिना किसी शुल्क के 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि और अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे पानी और बिजली उपलब्ध कराएं । फिर भी, ऐसे पिछड़े /पर्वतीय जिलों को वरीयता दी जाएगी जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग रहते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना का दिल्ली प्रशासन को सौंपा जाना

2059. श्री वीरेन जे. शाह : श्री राम जेठ मलानी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना का भावी संचालन दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय अन्तिम रूप से ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में सरकारिया समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस योजना को सहकारी क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए , और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :- (क) और (ख) जी हां । सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को यथाशीघ्र दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है ।

(ग) जी, हां ।